न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 15/2023 (2023/19)

<u>अपीलार्थीगण</u>

1. कालूराम पुत्र सुरताराम
2. बाबुराम पुत्र सुरताराम
3. तारूराम पुत्र सुरताराम
   सभी जातियान कुम्हार, निवासीगण ग्राम जीयाबेरी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>प्रत्यर्थीगण</u>

1. अर्जुनराम पुत्र धोकलराम
2. ओमाराम पुत्र धोकलराम
3. अमराराम पुत्र बुधाराम
4. खेमाराम पुत्र गेनाराम
5. गंगाराम पुत्र गेनाराम
6. श्रीमती गुड्डी पत्नी बुधाराम
7. चम्पाराम पुत्र धोकलराम
8. जेठाराम पुत्र बुधाराम
9. धीराराम पुत्र बुधाराम
10. नगाराम पुत्र लुम्बाराम
11. श्रीमती नेनी पत्नी गेनाराम
12. मगराम पुत्र गेनाराम
13. रूगाराम पुत्र गेनाराम
14. श्रवणराम पुत्र बुधाराम
15. हिम्मताराम पुत्र बुधाराम
    सभी जातियान कुम्हार, निवासीगण ग्राम जीयाबेरी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.04.2023 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2023 बअनवान अर्जुनराम वगैरा बनाम बाबुराम वगैरा में पारित किया गया।

<u>उपस्थिति</u>

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (अपीलार्थीपक्ष)
2. अधिवक्ता श्री किसनाराम विश्नोई (प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 7)
3. अधिवक्ता श्री प्रदीप गहलोत (प्रत्यर्थी संख्या [illegible] से 6 तथा 8 से 15)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :— **दिनांक :— 05.07.2023**

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश दिनांक 18.04.2023 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2023 बअनवान अर्जुनराम वगैरा बनाम बाबुराम वगैरा में पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 15 ने प्रत्यर्थी संख्या 16 के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र बाबत कदिमी रास्ता तुरन्त प्रभाव से खुलवाने बाबत् पेश किया जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 16 ने बिना साक्ष्य एवं अपीलार्थीगण को सनुवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित कर दिया, से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील प्रस्तुत करने पर इसे पंजीबद्ध कर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री किसनाराम विश्नोई तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 तथा 8 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप गहलोत ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 27.06.2023 को सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने बहस में बतलाया प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर बतलाया कि खसरा संख्या 1468 रकबा 17.1991 हैक्टेयर ग्राम जीयाबेरी तहसील बालेसर के खातेदार व काश्तकार है जिनके सहखातेदारों द्वारा मुख्य सड़क तक पहुंचने का रास्ता बन्द कर दिया गया है तथा प्रार्थना—पत्र में यह भी बतलाया कि उक्त भूमि के किनारे से खसरा संख्या 1458 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि लगती है जिसके सहारे—सहारे सड़क तक पहुंचते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर बतलाया कि विवादित भूमि सहखातेदार की भूमि है जिसका बंटवाड़ा प्रत्यर्थीगण नहीं करवाना चाहते तथा अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की भूमि को कम करने की नियत से प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर जबरदस्ती नया रास्ता निकालना चाहते है जबकि मौके पर खसरा संख्या 1458 गोचर भूमि में से रास्ता खुला है तथा प्रत्यर्थीगण वही से आ जा रहे है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य लिए एवं मौका देखे रास्ता खोले जाने का आदेश दिनांक 18.04.2023 पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.04.2023 में स्पष्ट वर्णित है कि '' पटवार मण्डल जीयाबेरी के ग्राम जीयाबेरी में खसरा नं0 1468 सहखातेदारी का खसरा है जिसमें 18 खातेदार है। प्रत्यर्थीगण/प्रार्थी अपने खसरे में रास्ता चाहते है। खसरा नं0 1468 के आगे (पास) खसरा संख्या 1458 सरकारी खसरा है। अग्रिम कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित है। '' उक्त रिपोर्ट में पटवारी ने यह कही भी नहीं लिखा है कि पूर्व में कोई कदीमी रास्ता चलता था जो अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 के तहत किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता निकालने का प्रावधान नहीं है इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि खसरा संख्या 1468 के पास ही खसरा संख्या 1458 किस्म गै0 मु0 गोचर एक सरकारी खसरा है जिसका उपयोग प्रत्यर्थीगण रास्ते के लिए कर रहे है। सहखातेदारों के मध्य सुखाचार का नियम लागू नहीं होता है उन्हें बंटवाड़ा करने के पश्चात् ही अधिकार प्राप्त होगें। अपीलार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है। बहस के अन्त में अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष संख्या 01 से 15 के अधिवक्तागण ने बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश विधिवत् पारित किया गया है क्योंकि जब तक सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा नहीं हो जाता है, सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र विधिवत् दर्ज कर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गये। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस तामिल होने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख में पटवारी की मौका रिपोर्ट में यह कही भी नहीं बतलाया गया कि पूर्व में कदीमी रास्ता चलता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य या सबूत नहीं लिए गए। अपीलार्थीपक्ष ने बतलाया कि खातेदारी खसरा संख्या 1468 के पास में एक सरकारी खसरा संख्या 1458 स्थित है जिसका उपयोग प्रत्यर्थीगण अपने खेत में आने–जाने के लिए रास्ते के रूप में ले रहे है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.04.2023 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2023 बअनवान अर्जुनराम वगैरा बनाम बाबुराम वगैरा में पारित किया गया को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के नियमों की अक्षरशः पालना कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का निस्तारण होने तक प्रत्यर्थीगण के खेत में आने–जाने के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested